



थाना जलालपुर

दिनांक-23.03.2024

थाना जलालपुर पुलिस व आबकारी टीम के संयुक्त प्रयास से अवैध शराब का निर्माण व बिक्री करने वाला अभियुक्त अवैध शराब व शराब निर्माण उपकरण सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना जलालपुर पुलिस टीम व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र IV सरीला की संयुक्त के साथ ग्राम जलालपुर स्थित कबूतरा डेरा में संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब बनाते सुरेन्द्र पाल पुत्र भारत सिंह को 200 कि०ग्रा० लहन जिसको मौके पर नष्ट किया गया व 35 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज, के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जलालपुर में मु०अ०सं० 52/2024 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुरेन्द्र पाल पुत्र भारत सिंह निवासी छिबौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर हालपता कबूतरा डेरा मजरा जलालपुर जनपद हमीरपुर

अभियुक्त अपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु०अ०सं० 924/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरिया
2. मु०अ०सं० 923/2015 धारा 60 सी आबकारी अधिनियम थाना जरिया
3. मु०अ०सं० 474/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
4. मु०अ०सं० 267/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
5. मु०अ०सं० 263/2020 धारा 302 भा०दस० थाना जरिया
6. मु०अ०सं० 49/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जलालपुर
7. मु०अ०सं० 32/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
8. मु०अ०सं० 67/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
9. मु०अ०सं० 101/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
10. मु०अ०सं० 148/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया

- 11.मु0अ0सं0 157/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
- 12.मु0अ0सं0 119/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया
- 13.मु0अ0सं0 52/2024 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम थाना जलालपुर

बरामदगी का विवरण:-

35 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज व 200कि0ग्रा0 लहन मय भट्टी शराब बनाने के उपकरण ।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री बृजमोहन
- 2.आबकारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह
- 3.उ0नि0 श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय
- 4.उ0नि0श्री नरेन्द्रकुमार यादव
- 5.हे0का0 शैलेन्द्र कुमार
- 6.हे0का0 रमाशंकर पाण्डेय (आबकारी)
- 7.का0 शिवम यादव
- 8.का0 मनोज कुमार
- 9.का0 ललित कुमार
- 10.का0 अंकुर सिंह (आबकारी)

